



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 27.09.2021

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा दो शातिर मोबाइल लुटेरों को मय लूटे गये एक मोबाइल व एक अदद तमंचा व एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 27.06.2021 को दो शातिर मोबाइल लुटेरों 1.अमित 2. अंशु को बहरामपुर अंडरपास पुलिस बुथ के पास विजयनगर से मय लूट का 01 मोबाइल (टैकनो स्पार्क) व अभि0 अमित के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभि0 अंशु के कब्जे से एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- 1- अमित पुत्र सुरेन्द्र, नि0 म0नं0 227, गली नं0 6, अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 2- अंशु पुत्र मुकेश हलवाई, नि0 गली नं0 17, अम्बेडकर नगर थाना गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण

- 1- मु.अ.सं. 1300/21 धारा 392,411 भादवि थाना विजयनगर, गाजियाबाद बनाम अमित व अंशु
- 2- मु.अ.सं. 1301/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर, गाजियाबाद बनाम अमित
- 3- मु.अ.सं. 1302/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर, गाजियाबाद बनाम अंशु

बरामदगी का विवरण

1. एक मोबाइल टैकनो स्पार्क कम्पनी का
2. एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315
3. एक अदद चाकू नाजायज

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र मलिक
2. उ0नि0 श्री अंकित कुमार
3. है0का0 1171 कृष्णपाल
4. का0 3793 तेजवीर



थाना लोनी पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त 14 पेटी(672 पच्चे) देशी शराब हरियाणा मार्का मय सैन्ट्रो कार सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त प्रदीप पुत्र धीरज नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद को 14 पेटी (672 पच्चे) देशी शराब हरियाणा मार्का मय सैन्ट्रो कार रजि न0 HR 51 AS 1917 सहित निठौरा गेट के पास वन्थला चिरौडी रोड हल्का चौकी चिरौडी से दिनांक 27.09.2021 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

प्रदीप पुत्र धीरज नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-1379/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 बलराम सिंह सेंगर चौकी प्रभारी चिरौडी थाना लोनी गा0बाद
2. उ0नि0 तपेश कुमार गौतम
3. है0का0 कृष्ण कुमार
4. है0का0 1492 रविन्द्र सिंह
5. का02194 योगेन्द्र सिंह
6. का0 3887 श्यामवीर
7. है0का0 चालक कालू सिंह मय माइक मोवाइल

बरामदगी का विवरण:-



थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन एनसीआर क्षेत्र से एक वाहन चोर मय चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा एनसीआर क्षेत्र मे वाहनो चोरी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एक वाहन चोर अभियुक्त रफीक उर्फ राजा S/O रहीस निवासी प्रीत विहार गुडडू केबिल वाले के मकान के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को मय चोरी की स्कूटी सहित रेल विहार पानी की टंकी के पास पहुंचे तो सीमेन्ट रोड चौकी क्षेत्र डीएलएफ से चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

रफीक उर्फ राजा S/O रहीस नि0 प्रीत विहार गुडडू केबिल वाले के मकान के पास थाना लोनी गाजियाबाद ।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु0अ0स0 1378/2021 धारा 411/414भादवि थाना लोनी गा0बाद ।
2. E- FIR NO 24878/21 धारा 379 भादवि E- THANA दिल्ली ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 दिनेश पाल चौकी प्रभारी डीएलएफ,
2. है0का0 1391 पंकज
3. का0 2168 पवन कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. होन्डा एक्टवा स्कूटी रंग सफेद न0 DL 3S DR 2159 बरामद,



थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दौहरे हत्या का वांछित शातिर अपराधी गिरफ्तार व निशा देही पर आला कत्ल एक चाकू व घर से लूटे हुये 12000 हजार रूपये व मृतक का मोबाईल व घटना के समय अभि0 द्वारा पहने हुये कपडे बरामद

दिनांक 27.09.21

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार के निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज राजा के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री रविन्द्र चन्द्र पंत व उ0नि0 अरुन कुमार मिश्रा स्वाट टीम गा0बाद की टीम द्वारा दिनांक 27.09.2021 समय 13-30 बजे कासिम विहार कट के पास से मुखबिर की सूचना पर अ0सं0 633/21 धारा 302,201,394 भा0द0वि0 में नईमुल हसन व उसके पुत्र उवेश की दौहरी हत्या में वांछित अभियुक्त मो0 मेरोज पुत्र चांद कमर निवासी ग्राम मिर्जापुर सोहरा थाना बिल्सी जनपद बदायूं हाल पता रामपार्क लकडी की मार्केट थाना ट्रोनिका सिटी जनपद को गिरफ्तार किया निशादेही पर आला कत्ल एक चाकू व घर से लूटे हुये 12000 हजार रूपये व मृतक का मोबाईल व घटना के समय अभि0 द्वारा पहने हुये कपडे बरामद किये गये।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकडे गये अभियुक्त ने पूछताछ पर अभियुक्त मेरोज ने नईमुल हसन व उसके उवैस की हत्या की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि साहब मुझे पैसो की बहुत जरूरत थी और मुझे पता था कि नईमुल हसन के पास घर पर पैसे रखे हैं मैं गोदाम से करदमपुरी दिल्ली जाने के बहाने चुपचाप हत्या वाली रात को मैं नईमुल के घर पर रात्रि करीब 9.30 बजे पहुचा और गेट खुलवाकर अन्दर चला गया उसका बेटा उवैस सो रहा था कुछ देर टी0वी0 देखकर हम लोग भी सो गये थे सुबह करीब 03.00 बजे नईमुल जगा तभी मैं भी जग गया नईमुल टॉयलेट चला गया और मैं ऊपर जाकर पंखा और चाकू जो मैंने पहले से देखा हुआ था ले आया और अपनी चारपाई पर लेट गया नईमुल भी टॉयलेट से निकलकर अपनी चारपाई पर सो गया और चादर ओढ ली। तभी मैंने मौका देखकर मैंने पंखे से लेटे हुये नईमुल हसन के सिर पर चार बार प्रहार किया और चाकू से उसका गला काट दिया तभी उवेश ने जागकर मुझे पहचान लिया तो मैंने उसका मुह भीच कर गला काट दिया व पेट में भी चाकू भोक कर हत्या की थी और घर से नईमुल का मोबाईल व अलमारी में उपर ही रखे 15000 हजार रू0 व चाकू को अपने साथ लेकर चला गया और चाकू ,कपडे व मोबाईल को लकडी के गोदाम में अलग अलग जगह छुपा दिया था और तब से मैं इधर उधर छुपा हुआ था रूपयो में से मैंने 3000रू0 खर्च कर लिये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

मो0 मेरोज पुत्र चांद कमर निवासी ग्राम मिर्जापुर सोहरा थाना बिल्सी जनपद बदायूं हाल पता रामपार्क लकडी की मार्केट थाना ट्रोनिका सिटी जनपद उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- 1.आला कत्ल 01 चाकू
- 2.12000 रू
- 3.मृतक का मोबाईल
- 4.घटना के समय अभि0 द्वारा पहने हुए कपडे

आपराधिक इतिहास-

- 1.अ0स0 633/21 धारा 302,201,394 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
- 2.अ0स0 658/21 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्र0नि 0श्री रविन्द्र चन्द्र पंत थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

- 2 निरीक्षक / विवेचक श्री शलेन्द्र मुरारी दीक्षित
- 3 उ०नि० सुशील कुमार थाना ट्रानिका सिटी
- 4 उ०नि० अनिल कुमार थाना ट्रानिका सिटी
- 5 उ०नि० अरुण कुमार मिश्रा क्राईम ब्रान्च गा०बाद
- 6 उ०नि० सतवीर क्राईम ब्रान्च गा०बाद
- 7 हे०का० खुर्शीद क्राईम ब्रान्च गा०बाद
8. का० 469 विपुल थाना ट्रानिका सिटी
9. काविशाल 1682 0 थाना ट्रानिकासिटी
10. का० संदीप कुमार क्राईम ब्रान्च गा०बाद



थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 27.09.2020

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 27.09.21 को समय 02.45 बजे अभि०गण 1.फरदीन उर्फ शैलू पुत्र जमील अहमद नि० जी-393 जयपाल चौक शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष 2.शोर मो० उर्फ शेरा पुत्र नौशेर खाँ नि० एच 182 शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष गाजियाबाद को ईदगाह के पास शहीद नगर से गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज/कागजात तैयार करके लोगों के साथ मिलकर चीटिंग करते हैं और लोगों को धोखा देकर पैसा ले लेते हैं।

अभियुक्त: का नाम व पता-

1. फरदीन उर्फ शैलू पुत्र जमील अहमद नि0 जी-393 जयपाल चौक शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

2. शोर मो0 उर्फ शेरा पुत्र नौशेर खाँ नि0 एच 182 शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष

अपराधिक इतिहास व पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0स0 1985/2021 धारा 420/406/504/506/467/468 IPC

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रविशंकर पाण्डेय
2. है0का0 656 सतेन्द्र सिंह
3. है0का0 281 रफीक खाँ



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद

दिनांक 27.09.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार खारी की टीम द्वारा दिनांक: 29.09.2021 घटनास्थल नया वस अड्डा चौकी क्षेत्र नया बस अड्डा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त गुलफान अंसारी पुत्र सुबराती अंसारी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक

अदद चाकू नाजायज हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-931/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम गुलफाम अंसारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

निल।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

अभियुक्त गुलफाम अंसारी पुत्र सुबराती अंसारी निवासी हसुआ सिवान थाना नौतन जिला सिवान (विहार) उम्र करीव 18 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1. मु-0अ0सं0931 2021/धारा आर्म्स एक्ट 4/25 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:- 1. 01 अदद चाकू नजायज।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 8 प्र0नि0 श्री अमित कुमार खारी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 9 उ0नि0 सुरजीत सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 10 का0 सुभाष दिवाकर 2184 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 11 एच0जी0 352 दयाचन्द थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।